

भारतीय संस्कृति, कृषिएवं स्वास्थ्य में पंचगव्य की उपादेयता

डॉ. आशानंद माखीजा, सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)
शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

सह—अध्येता, मई—2023

‘भारत समृद्ध परम्पराओं की भूमि है जिसकी जड़े प्राचीन विज्ञान में हैं, जो सामाजिक रीति—रिवाजों और उनकी पृष्ठभूमि को वैज्ञानिक कारणों से प्रत्यक्ष जोड़ती है। माता के समान पालन—पोषण करने वाली प्रकृति के कारण भारत में गाय को ‘गौमाता’ या “कामधेनु” कहा जाता है।¹ कामधेनु पवित्र गाय है जो वांछित चीजों को पूरा करती है। गाय साक्षात् धेनु है। ऋग्वेद इस धेनु की पीठ है, यजुर्वेद मध्य, सामवेद मुख और ग्रीवा, इष्टापूर्त इसके सींग हैं और सुन्दर—सुन्दर सूक्त ही गृहस्थ धेनू के रोम हैं। इस प्रकार गाय अपने आप में सम्पूर्ण वेद है।² आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में गाय के दूध, घी, दही, मुत्र और गोबर के उपयोग के महत्व का वर्णन मिलता है, जिनमें से प्रत्येक को ‘गव्य’ कहा जाता है। पंचगव्य में ‘पंच’ का अर्थ है ‘पांचतथा’ ‘गव्य’ का अर्थ है ‘गाय से प्राप्त’।³ हिन्दू धर्म में गाय को पवित्र मानकर ‘माता’ का स्थान दिया गया है। केवल गाय ही नहीं अपितु उससे जुड़ी पांच चीजों का भी हिन्दू धर्म में विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में पंचगव्य के बिना कोई भी शुभ—मांगलिक कार्य पूरे नहीं होते। गांवों—कस्बों से लेकर शहरों तक किसी भी धार्मिक उत्सवों, मांगलिक कार्यों, पूजा—पाठ, अनुष्ठान में पंचगव्य के प्रयोग को प्रधानता दी जाती है। गृह शुद्धि से लेकर शरीर शुद्धि तक पंचगव्य का प्रयोग किया जाता है।

संस्कृति किसी भी देश, जाति या समुदाय की आत्मा होती है जिसकी सहायता से नागरिक अपने आदर्शों व जीवन मूल्यों का निर्धारण करते हैं। विभिन्न महापुरुषों ने गाय को हमारी संस्कृति बताया है। महाभारत में कहा गया है कि उस काल में जिनके पास जितनी अधिक गायें होती थीं वह उतना ही वैभवशाली माना जाता था। विभिन्न ग्रंथों में गाय की महिमा का वर्णन किया गया है। ‘भारतीय शास्त्रों के अनुसार गौ माता सर्वदेवमयी है अर्थात् गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। ऋग्वेदमें गाय को अघन्या, यजुर्वेद में गौर अनुपमेय

और अर्थवेद में संपत्तियों का घर कहा गया है। भगवान् कृष्ण को सारा ज्ञान गौचरणों से ही प्राप्त हुआ।⁴ स्कंद पुराण के अनुसार गौ सर्वदेवमयी और वेद सर्व गोमय है। जैन धर्म गन्थों में गाय साक्षात् लक्ष्मी है। पद्मपुराण में गाय की महिमा का वर्णन है, गौ की प्रत्येक वस्तु पावन है और समस्त संसार को पवित्र कर देती है। गव्य पदार्थ सम्पूर्ण द्रव्यों में श्रेष्ठ और शुभ है। पुराणों में गाय के सम्बंध में, 'गो सर्व देवमयी, गो सर्व तीर्थ मयी' कहा गया है। अर्थात्, गाय में सभी तीर्थों का फल है और सभी देवता हैं। इस प्रकार गौवंश की श्रेष्ठता सनातन काल से रही है। शरीर जिन महाभूतों से बना है वे सभी गौमाता के गव्य में उपलब्ध हैं—

■ शरीर में जो भूमि तत्व है—	जो कि गोमय के पास है—	गोबर
■ शरीर में जो जल तत्व है—	जो कि क्षीर के पास है—	दूध
■ शरीर में जो वायु तत्व है—	जो कि गोमुत्र के पास है—	वायु का तरल रूप
■ शरीर में जो अग्नि तत्व है—	जो कि घृत के पास है—	घी
■ शरीर में जो आकाश तत्व है—	जो कि छाछ के पास है—	मोर, तक, मरठा आदि

वैज्ञानिक मानते हैं कि गाय ही एकमात्र पशु है जो ऑक्सीजन लेती और छोड़ती है। यह भी प्रमाणित है कि भारतीय गाय के ताज़ा गोबर में प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा 23 प्रतिशत है। जब इस गोबर को सुखा कर कण्डा बनाया जाता है तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़कर 27 प्रतिशत हो जाती है। जब इस कण्डे को जलाकर जो राख बनती है तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाती है। इसी को भर्सम बना देने पर प्राणवायु 46.6 प्रतिशत हो जाती है। जब भर्सम को दोबारा जलाकर विशुद्ध भर्सम बनाते हैं तो इसमें 60 प्रतिशत तक प्राणवायु आ जाती है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि अपने घर में गोबर कंडे का धुआंकरना चाहिए और राख को पीने के पानी में मिलाया जाना चाहिए। यदि एक लीटर पानी में 10–15 ग्राम यानि 3–4 चम्च भर्सम मिलाया जाए तो उसके पानी के तली में बैठ जानेपर पानी शुद्ध व पीने योग्य होता जाता है। यह गौ-भर्सम (राख) मनुष्य के लिए अत्यंत

उपयोगी है। साधू—संतसंभवतः इन्हीं गुणों के कारण इसे प्रसाद रूप में भी देते थे। जब गोबर से बनायीं गयी भस्म इतनी उपयोगी है तब गाय कितनी उपयोगी होगी, यह विचारणीय है।

‘प्राचीनकाल से ही भारत जैविक आधारित कृषि प्रधान देश रहा है। भारत में जैविक कृषि का इतिहास लगभग 5000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। यह सजीव खेती का ही परिणाम था कि इतने लम्बे समय तक अनवरत अन्न उत्पादन के साथ—साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बनाये रखा जा सका। सन् 1966–67 से भारत में हरित क्रांति की शुरूआत की गयी। कृषि प्रौद्योगिकीकरण के नाम पर सघन खेती शुरू की गई, फलस्वरूप खाद्यानों का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा परंतु इन उपलब्धियों के पीछे कितना विनाश छिपा है, विकास का आधार किस कदर लड़खड़ाया है, कितनी समस्याएं राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों के रूप में खड़ी हैं, यदि इसका अनुमान लगाया जाए तो अहसास होगा कि पाया कम, खोया अधिक है। साथ ही संकर बीजों और रासायनिक कीटनाशकों व खरपतवारनाशक तथा अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों के दुष्परिणाम ने खेत, मिट्टी, उपज, किसान और पर्यावरण सभी को प्रभावित किया है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति, उत्पादकता, जैवविविधता, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के साथ—साथ समूचे पर्यावरण को भी खतरा उत्पन्न हो गया है।⁵ अनौचित्यपूर्ण रासायनिक कीटनाशकों व उर्वरकों के प्रयोग से लगातार घटते जा रहे कार्बनिक पदार्थ से, भूमि की भौतिक संरचना व गुणवत्ता नष्ट हो रही है जो कि मृदा में वायु व ताप के संचरण, नमी के रिसावन, धारण तथा उपज के आपूर्ति करने की क्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इससे भूमि का स्वास्थ्य एवं उत्पादकता दुष्प्रभावित होती है। भूमि में और कीटनाशकों के छिड़काव से भूमि के उपयोगी सूक्ष्म जीव समुदाय का विनाश हो जाता है और भूमि लगभग निर्जीव बन जाती है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लाखों हेक्टेयर भूमि बंजर व कृषि के अयोग्य हो चुकी है। उर्वरकों एवं कीटनाशकों के निरंतर प्रयोग से यह स्थिति आ जाती है कि उनके उपयोग कि कितनी भी मात्राफसलोत्पादन में वृद्धि करने में असफल रहती है। भारत में हरित क्रांति के गढ़ कहे जाने वाले पंजाब, हरियाणा एवं दक्षिण भारत में ऐसी स्थितियां निर्मित हो चुकी हैं।⁶ केन्द्रीय रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1950–51 में भारतीय किसान मात्र 7 लाख टन रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते थे जो अब कई गुना बढ़कर

310 लाख टन हो गया है। इसमें 70 लाख टन विदेशों से आयात किया जाता है।⁷ भारत में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग लगभग 97 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा कीटनाशकों का प्रयोग लगभग 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। इस दृष्टि से हम विश्व में चौथे स्थान पर हैं। 'प्रयोग किये गये रासायनिक उर्वरकों का मात्रा 23 प्रतिशत ही फसलों को मिल पाता है, शेष 77 प्रतिशत मात्रा से विभिन्न प्रदूषणजन्य विकार पैदा होते हैं।⁸ सरकार को यूरिया व डी.ए.पी. उर्वरकों के उत्पादन पर प्रतिवर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देनी पड़ रही है। इसका पूरा लाभ उर्वरक उत्पादक कम्पनियों को ही मिलता है, किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता है। भारत के किसान हर साल लगभग 3,80,000 करोड़ रुपये की रासायनिक खाद, कीटनाशक एवं डीजल खेती में उपयोग करते हैं।⁹ इस खर्च में बड़ी भारी कमी की जा सकती है। उर्वरकों की मांग एवं बढ़ती कीमतों के कारण उपज का लागत मूल्य बढ़ जाने के फलस्वरूप उत्पादन वृद्धि के बावजूद भी आर्थिक लाभ नहीं बढ़ा है फलस्वरूप कृषि अधिक महंगी व लाभ से वंचित होती जा रही है, जिससे लघु और सीमांत कृषक आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहा है। अनेक ऐसे अध्ययन हैं जिनमें खेतिहर मजदूरों के स्वास्थ्य पर कीटनाशकों के दुष्प्रभावों के सम्बंध में जानकारी दी गई है। यहां तक कि कीटनाशकों का उपयोग सही ढंग से किए जाने के बावजूद भी वे हवा और खेतिहर मजदूरों के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। 'कीटनाशकों के कारण पेट दर्द, चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी, साथ ही आंख और त्वचा समस्याओं जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से सम्बंध बताया गया है। इसके अलावा, कई अन्य अध्ययनों से पता चला है कि कीटनाशकों से श्वांस सम्बन्धी समस्याएं, स्मृति विकार, त्वचा रोग, कैंसर, अवसाद, तंत्रिका सम्बन्धी रोग, गर्भपात और जन्म विकृति जैसी अधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जुड़ी हुई हैं।'¹⁰

आधुनिक काल में जिस प्रकार से बीमारियों की संख्या और उनका विस्तार हो रहा है उससे तो यही लगता है कि विश्व में कुछ ही लोग शेष हैं जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त न हों। बढ़ती हुई बीमारी और उसके विस्तार पर गहन शोध से यह पता चलता है कि अनाज, फल तथा सब्जियों में गुणवत्ता का स्तरहीन होना है। अधिक उत्पादन की लालच में कृषि क्षेत्र में अत्यधिक जहरीले रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप खतरनाक रसायन अपने गुण और धर्म के साथ इन खाद्य वस्तुओं में जमा हो जाते हैं। आज हर व्यक्ति

प्रतिदिन लगभग 0.27मिलीग्राम जहर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के रूप में खाद्य पदार्थों के माध्यम से सेवन कर रहा है।¹¹इसके प्रयोग से सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों का जल प्रभावित हुआ है। नमूनों से यह बात स्पष्ट हो गई है कि बाजार में बिकने वाले अनाज, फल व सब्जी सभी में कीटनाशक रसायनों की उपस्थिति मानक से काफी ज्यादा है।नियमित जहरीले रसायनों के उपयोग से उत्पादित वस्तुओं के उपभोग ने लोगों को अनगिनत गंभीर बीमारियों की चपेट में ला दिया है।

पेड़—पौधों, नदियों, पर्वतों, जीव, जन्तु और मनुष्यों से मिलकर ही पूरी प्रकृति बनी है इसलिए सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के सहयोगी हैं। प्रकृति के संसाधनों पर भी सभी का समान ही अधिकार है। इन्ही मान्यताओं के कारण जीव—जतुंओं के प्रति दया, प्रेम, एवं करुणा की भावना भारतीयों के मन में है। भारतीय कृषि पद्धति में जो अनाज पैदा किए जाते हैं उसमें मनुष्य, पशुओं, तथा अन्य जीव जन्तुओं की खाने की आवश्यकताओं को पूरा करने का ध्यान रखकर फसलें बोयी जाती है। भारतीय समाज में पशु—पालन की एक लम्बी परम्परा है, जो कृषि कर्म के साथ—साथ हजारों वर्षों से चली आई है। आज के भारतीय समाज में कई तरह की गिरावट आने के बावजूद यह परम्परा कायम है। यद्यपि यह गिरावट पिछले कई सौ सालों से लगातार आती जा रही है। अंग्रेजों के भारत आने के बाद से यह गिरावट बहुत अधिक और तेजी से आई है। अंग्रेजों के भारत आने के पूर्व तक भारतीय समाज में उन्नत खेती और पशुपालन की व्यवस्था थी। अंग्रेजों ने आकर इन व्यवस्थाओं को जड़—मूल से नष्ट करने की कोशिश की और उसमें वे सफल भी रहे।भारत देश अंग्रेजों का दीर्घकाल तक गुलाम रहा। 'सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाने के लिए काफी तैयारियां की। स्वतंत्रता के बाद वाली पीढ़ी को यह पढ़ाया गया है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत में व्यापार करने आई थी किंतु 1813 के दस्तावेज के अवलोकन से पता चलता है कि वह भारत में व्यापार का बहाना लेकर आई थी। उनका मूल उद्देश्य भारत का एक ईसाई राष्ट्र बनाने का जो प्रस्ताव पारित किया गया उसमें कुछ नीतियों को भारत में पूरे समय तक लागू किया। अंग्रेजों की सबसे पहली नीति थी कि भारत को अगर ईसाई राष्ट्र बनाना है तो भारत की समृद्धि, संपन्नता, सुख—सम्पत्ति कोनष्ट करना होगा क्योंकि जब तक समाज में गरीबी,

बेरोजगारी तथा विपन्नता नहीं आएगी, उसे ईसाई नहीं बनाया जा सकता। यह बात लंदन की संसद में तात्कालीन सांसद द्वारा कही गई।¹²

‘अंग्रेजों ने हिन्दुस्तानियों में गरीबी व भुखमरी पैदा करने के लिए एक नीति के तहत फैसला लिया कि भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए भारतीय कृषि पद्धति को भी बर्बाद करना पड़ेगा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था केन्द्र बिन्दू रहा है। लंदन की संसद में यह तय होने के बाद उन्होंने नीतियां बनाना शुरू किया तथा उन नीतियों को भारत में लागू करने के पूर्व सर्वेक्षण कराए। इस सर्वेक्षण के प्रतिवेदन के आधार पर अंग्रेजों को यह पता चला कि भारतीय कृषि का जो मूल केन्द्र है, वह गाय है और गाय के बिना भारतीय कृषि नहीं हो सकती, दूसरी एक बात और पता चली कि भारतीय समाज और संस्कृति के केन्द्र में भी गाय है क्योंकि गाय की पूजा हिन्दुस्तान में हजारों वर्षों से होती रही है। उन्होंने निर्णय लिया कि भारतीय कृषि को बर्बाद करने एवं भारतीय संस्कृति को नष्ट करना है तो गाय का नाश करना होगा।’¹³

‘मूल रूप से हिन्दुस्तान के मुस्लिम राजाओं सहित लगभग सभी राजाओं ने गौरक्षा से सम्बंधित नीतियों को बनाने का प्रयास किया। इस सम्बंध में मुस्लिम राजाओं की यह मान्यता थी कि भारतीय समाज की परम्पराओं के विपरीत शासन नहीं चलाया जा सकता। अंग्रेजों को मुस्लिम समाज और मुस्लिम राजाओं के मध्य भी गौरक्षा के लिए काम करने वाले अनेकों दस्तावेज मिले। इस सम्बंध में एक—दो अपवाद ऐसे थे जिनको अंग्रेजों ने दुष्प्रचारित करना शुरू किया और उन अपवादों के आधार पर अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान में गाय का कत्ल करवाना शुरू किया। गाय का कत्ल करवाने के पीछे अंग्रेजों की मूल नीति भारत की कृषि एवं अर्थव्यवस्था को नष्ट करना था। गाय का कत्ल करवाकर गाय के मांस को अंग्रेजों की फौज को खिलाया जाना लगा परिणामस्वरूप गायों की संख्या कम होती चली गई। कालांतर में अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि गौवंश को यदि समूल नष्ट करना है तो नंदी को समाप्त किया जाए ताकि गौवंश वृद्धि को रोका जा सके। उन्होंने गाय से अधिक नंदी का कत्ल करवाना शुरू किया। इस कार्य के लिए विशेष कत्ल खाने खोले गए। इस प्रकार बहुत बड़े पैमाने पर गाय एवं नंदी का कत्ल शुरू हो गया। सन् 1850 के आसपास गौरक्षा का मुद्दा उठाने वालों में अनेक धर्मगुरुओं के अलावा आर्य समाज, सिक्ख पंथ तथा दूसरे मजहबों के

हिन्दू धर्म में आस्था रखने वाले विभिन्न सम्प्रदाय थे। किंतु अंग्रेजों का उदेश्य गाय और नंदी को कत्तल करवाने से हिन्दुस्तान की कृषि तथा अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के अलावा जनता को मानसिक पीड़ा पहुंचाना था। गाय का कत्तल करने से हिन्दुस्तान की अस्मिता नष्ट होने के साथ भारत के लोगों का अस्तित्व तथा गौरव भी नष्ट होता है। तात्कालीन दस्तावेज यह प्रमाणित करते हैं कि अंग्रेजी सरकार ने पूरे हिन्दुस्तान में 350 कत्तलखाने खुलवाए। सन् 1910 से लेकर 1940 तक अंग्रेज सरकार ने लगभग 10 करोड़ गौवंश का कत्तल करवाया। सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई थी तब प्रश्न गाय की चर्बी का ही था। गाय के उस प्रश्न से हिन्दुस्तान की कांति की शुरूवात हुई थी और बाद में वही मूल प्रश्न हिन्दुस्तान की आजादी का प्रश्न बन गया था। अगर गाय का प्रश्न नहीं होता तो शायद 1857 की कांति के होने भी मुश्किलें आती। वह कांति एक तरफ से चलती रही, दूसरी तरफ गांव-गांव में गौरक्षा समितियां बना दी गई। लेन्स डाऊन की रिपोर्ट बताती है कि (जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कही गई है) गाय को बचाने के लिए हिन्दू के साथ मुसलमान भी लड़ रहे हैं। अंग्रेजों ने हिन्दू और मुसलमान के बीच झगड़ा कराने के लिए मुसलमानों को गाय काटने के लिए प्रेरित किया और लेन्स डाऊन ने महारानी विकटोरिया के पत्र के आधार पर नीति बनाई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जितने कत्तलखानें हैं उनमें केवल मुसलमानों को ही नौकरी दी जाएगी ताकि पूरे हिन्दुस्तान में इस बात का प्रचार किया जाए कि गाय काटने का काम मुसलमान कर रहे हैं। सामान्य रूप से कोई मुसलमान उसके लिए तैयार नहीं था किंतु अंग्रेजों की सरकार ने मुसलमानों को मारना, पीटना, धमकाना तथा प्रलोभन देने का कार्य शुरू किया। सच्चाई यह है कि महारानी ने पत्र में लिखा था कि मुसलमान गाय काटेंगे हमारे लिए और हिन्दुस्तान की जनता को दिखाई देगा कि गाय कट रही है मुसलमानों के द्वारा। गाय कटवाने वाला चेहरा लोगों को दिखाई नहीं देगा और यह नीति पूरे हिन्दुस्तान में लागू की गई परिणामस्वरूप जगह-जगह हिन्दू-मुसलमानों के दंगे शुरू हो गए। अंग्रेजों ने अपने आप को बचा लिया।¹⁴

‘स्वतंत्रता प्राप्ति के आरंभिक दौर में भारत के बहुत सारे नेता गाय के बचाने पर सर्वाधिक चिंतित थे। उनमें से पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रमुख थे।’¹⁵ किंतु दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता

के 75 वर्षों के बाद भी केन्द्रीय स्तर पर आज तक ऐसा कानून नहीं बन पाया।'आंकड़े बताते हैं कि आजादी के समय देश में 350 कत्ल खाने थे किंतु आजादी मिलने के बाद देश में 1707 मान्यता प्राप्त कत्ल खाने हैं, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत हैं तथा देश में 40,000 गैर मान्यता प्राप्त कत्ल खाने संचालित हैं।'¹⁶ दिल दहला देने वाला तथ्य यह है कि आजादी के समय भारत के गौवंश अर्थात् गाय, बछड़े, बैल और सांड़ की जनसंख्या कुल मिलाकर 1 अरब 21 करोड़ के आस-पास थी। तब भारत की जनसंख्या 35 करोड़ बताई जाती थी। अब भारत की जनसंख्या 143करोड़ के पार कर गई है जबकि कुल मवेशियों की संख्या 92.49 करोड़ है। मादा मवेशी (गायों की कुल संख्या) 45.12 करोड़ आंकी गई है जो पिछली गणना (2012) की तुलना में 18.0 प्रतिशत अधिक है।¹⁷ इसके अलावा गौवंश की भारतीय नस्लों को उन्नत एवं विकसित करने के नाम पर विदेशी नस्लों से संकरित कराए जाने के फलस्वरूप अनेक भारतीय नस्लें लुप्त हो चुकी हैं। सन् 1947 में भारतीय गाय की 60 नस्लें मौजूद थीं जो अब घटकर 30 रह गयीं हैं।

यहीं गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मानवीय जनसंख्या के अनुपात में गौवंश की संख्या क्यों नहीं बढ़ी? और घटी भी तो इतनी तेजी से क्यों घटी? अगर मांस के नाम पर गौमांस का व्यापार नहीं हो रहा है तो क्या भारत में गौमांस की इतनी ज्यादा खपत है? फिर मांस की आड़ में गौमांस के निर्यात की अनदेखी क्यों की गई और क्यों की जा रही है? भारत के 29 में से 20 राज्यों में गोवध बंदी कानून लागू है। कुछ राज्यों में तो हर प्रकार और किसी भी आयु के गोवंश के वध पर न केवल पूर्ण प्रतिबंध है बल्कि उसे गंभीर और गैरजमानीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इन सब के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत बीफ का शीर्ष निर्यातको में से एक है एवं इस कार्य में अनेक हिन्दू धर्म के अनुयायी भी हैं।¹⁸

गौपालक अक्सर पुराने और अनुत्पादक देशी मवेशियों को छोड़ देते हैं। परित्यक्त स्वदेशी मवेशियों को ग्रामीण और शहरी इलाकों में सड़कों के किनारे कचरे के ढेर में चरते या विचरण करते देखा जा सकता है। 'सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार आवारा पशुओं के कारण भारत में 1604 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें से सर्वाधिक गुजरात(220), इसके बाद झारखण्ड (214) और हरियाणा (211) हैं।'¹⁹ कुछ गौपालकों द्वारा अनुत्पादक एवं नवजात

नर बछड़ों को गौशालाओं में भी भेज दिया जाता है। सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशी आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। रात के अंधेरे में कभी मवेशी वाहनों की चपेट में आकर घायल हो जाते हैं अथवा उनकी मृत्यु हो जाती है।

आदिकाल से ही माता के समान मानी व पूजी जाने वाली गाय को भारतीय संस्कृति में मां समझ कर उसकी सेवा किए जाने की परिपाठी प्रचलित है। 'इस सम्बंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने गौ हत्या के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा था कि गाय का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसके पूर्व भी सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है।'²⁰ भारतीय मान्यतानुसार गौमाता पृथ्वी, प्रकृति और परमात्मा का प्रकट स्वरूप है। धर्मग्रन्थों में सम्पूर्ण गौवंश को मानव के अस्तित्व, रक्षण, पोषण, विकास और संवर्द्धन के लिए अनिवार्य माना है।

अधिकाधिक कीटनाशक रसायनों के इस्तेमाल से मृदा, खाद्यान्न, जल और वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि मनुष्यों और पशुओं का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है और असंख्य जंगली पशु, पक्षी, जीव जन्तुओं की प्रजातियां ही विलुप्त हो गई हैं। महंगी और अलाभकारी कृषि के कारणलाखों किसानों का खेती से पलायन हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में भारत के किसानों के सामने एक ही विकल्प है कि वे खेती करने का अपना तरीका बदलें। रसायन मुक्त खेती का वैकल्पिक नाम है, 'जैविक कृषि'। इसके नाम से ही अर्थ का अनुमान लगता है कि वैसी खेती जो जीवों के आधार पर हो, जीवाणुओं की सहायता से हो अर्थात् वह कृषि जो अहिंसक हो। जब कृषि में हिंसा नहीं होगी तभी उस विधि द्वारा उत्पादित अनाज, फल, एवं सब्जियों का गुण सात्त्विक होगा। जो 'किसान गोबर और गोमूत्र (जैविक खाद एवं कीटनाशकों) आधारित खेती कर रहे हैं उससे उत्पादन खर्च 90प्रतिशत तक घट गया है और उत्पादन प्रति एकड़ बढ़ गया है। परिणामस्वरूप मिट्टी की सूक्ष्म पोषकता बढ़ रही है, मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता बहुत बढ़ रही है, मिट्टी की कीटाणुनाशक क्षमता बढ़ी है और मिट्टी के अन्दर पनपने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश आदि राज्यों के लगभग 5 लाख एकड़ क्षेत्र में गोबर-गोमूत्र आधारित खेती हो रही है। जो किसान जैविक खेती अपना रहे हैं वे पहले से अधिक सुखी व निरोगी हो

गये हैं।²¹ जैविक खाद रासायनिक खाद का ही विकल्प है। जैविक खाद के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ इसके प्रयोग से पर्यावरण को भी प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। पंचगव्य और गौ उत्पादों पर आधारित लघु एवं कुटीर ग्रामोद्योग के माध्यम से दैनन्दिनी उपयोगी दीपक, गमला, अगरबत्ती, धूपबत्ती, गुलाल, पेंट, पुट्टी, वैदिक मूर्तियां, राखी, ब्रेसलेट, दंतमंजन, फिनाइल, यज्ञ हेतु साम्रगी, कीटनाशक एवं विभिन्न बीमारियों में कारगर गौ-अर्क आदि अनेक उत्पादों के निर्माण से स्वरोजगार के अवसरों का सृजन होंगे और गांव स्वावलम्बी होंगे। 'रासायनिक खाद एवं कीटनाशक, जिसके आयात पर लगभग 80,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष व्यय होता है, से देश को मुक्ति मिल सकती है। खेतों में रासायनिक खादों के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी, उत्पादन में ठहराव, जमीन के जल स्तर में गिरावट,

कृषि उत्पादन की लागत में निरन्तर वृद्धि तथा कीटनाशक दवाओं के अधिकाधिक प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पैदा हो गई है। स्थिति इतनी भयंकर हो रही है कि भूमि धीरे-धीरे रेगिस्तान में बदल रही है, चारा और चरागाह के अभाव में पशुधन समाप्त हो रहा है और किसान कंगाल हो रहा है। रासायनिक कीटनाशकों ने मानव शरीर में ही नहीं, मिट्टी, अन्न, फल, सब्जी, चारा तथा नदियों व तालाबों के पानी और हवा तक में जहर घोल दिया है। ऐसे कीटों की संख्या 500 से भी अधिक हो गई है जिन्होंने अपने अन्दर कीटनाशकों के विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर ली है। अतः अब और भी अधिक विषैले रासायनिक कीटनाशकोंकी आवश्यकता पड़ेगी। बढ़ते जा रहे इस पर्यावरण संकट को कम करने के लिए जैविक कीटनाशकोंका इस्तेमाल ही एक प्रभावी उपाय है।²² आज विश्व बाजार में ऐसे खाद्यानों, फलों एवं सब्जियों की मांग बढ़ती जा रही है जिसमें रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग न किया गया हो। जैविक खाद द्वारा उत्पादित खाद्यान्न, शाक-सब्जी, फलों व मसालों की मांग अधिक हो रही है जिसके लिए क्रेता अधिक कीमत भी देने के लिए तैयार हैं। देश में लगभग 92.49 करोड़ गोवंश वस्तुतः बिना ईंधन और अन्य सहायता के 5 करोड़ हॉर्सपावर ऊर्जा पैदा कर सकते हैं और साथ ही उनके गोबर व गोमूत्र से प्राप्त जैविक खाद व जैविक कीटनाशकों से भारत की कृषि भूमि को उपजाऊ व प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकेगा। सड़ी हुई गोबर की खाद के 20टन प्रति हेक्टेयर से से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा

40 किलो ग्राम फॉस्फोरस प्राप्त होता है। इसलिए आवश्यक है कि जैविक खादों का ही उपयोग किया जाये।²³ जैविक खाद और रासायनिक खादों का तुलनात्मक अध्ययन एवं अनुभव करने पर यह पाया गया कि जैविक खाद ज्यादा गुणकारी और लाभकारी हैं, क्योंकि:

1. जैविक खाद व कीटनाशी तैयार करने में रासायनिक की तुलना में कम खर्च आता है (लगभग 75–86 प्रतिशत);
2. ये स्थानीय सामग्री से ही तैयार किए जाते हैं अतः इनकी उपलब्धता ग्राम स्तर पर ही हो सकती है;
3. विषहीन और पर्यावरण मित्र के कारण ये सुग्राह्य हैं;
4. जैविक खादों के उपयोग से कृषि उत्पादन निरन्तर बढ़ता जाता है;
5. जैविक खादों के उपयोग से उत्पादित खाद्यान्न, सब्जी, फल, पशु चारा अधिक स्वास्थ्यवर्धक व पौष्टिक होता है;
6. ये जैव विविधीकरण व विभिन्नता के संतुलित विकास में सहायक होते हैं;
7. कम लागत, स्थानीय उत्पत्ति, अधिक उत्पादन, पर्यावरण मित्र होने के कारण जैविक खाद किसानों के लिए मित्रवत् हैं;
8. जैविक खेती में कम लागत और अधिक उत्पादन के फलस्वरूप किसानों व मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा;
9. जैविक कृषि उत्पादों की बिक्री व निर्यात में प्रोत्साहन तो मिलता ही है साथ ही इन उत्पादों का बाजार भाव भी 30–40 प्रतिशत अधिक मिलता है;
10. जैविक खाद व कीटनाशकों के इस्तेमाल से वायु, जल, मृदा, खाद्यान्न, फल, सब्जी, पशु चारा आदि को प्रदूषण व विषैलेपन से बचाया जा सकता है;
11. जैविक कृषि उत्पादों में भण्डारण क्षमता तुलनात्मक रूप से 30–40 प्रतिशत अधिक होती है;
12. इसके निरंतर उपयोग से भूमि में हवा व नमी का संतुलन बना रहता है;
13. फसलों में विभिन्न प्रकार के होनें वाले रोग और कीट का प्रभाव काफी कम हो जाता है;

14. रासायनिक खादों की अपेक्षा यह काफी सरल और आसानी से प्राप्त किया जा सकता है;

15. पंचगव्य खेत में जल की आवश्यकता को 25 से 30 प्रतिशत तक कम कर देता है, जिसके कारण सूखे की स्थिति में पौधा जीवित अवस्था में बना रहता है; एवं

16. पंचगव्य के इस्तेमाल से फसलों के उत्पादन में वृद्धि के साथ ही यह पशुओं और मानव जीवन के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।

‘रासायनिक खाद और कीटनाशक के विकल्प के रूप में गोबर—गोमूत्र आधारित जैविक खाद और कीटनाशकों का उपयोग करने वाले किसानों का पहले वर्ष से 90 प्रतिशत लाभ शुरू हो सकता है। यह लाभ कुछ वर्षों में जब जमीन की पोषकता पूरी तरह सुधर जाती है तब 900 प्रतिशत तक हो सकता है।’²⁴ जैविक खेती में जो भी उत्पादन होता है वह शुद्ध, विषरहित एवं स्वास्थ्यवर्धक होता है, फलस्वरूप उपभोक्ताओं को शारीरिक—मानसिक बीमारियां कम होने के कारण चिकित्सा व्यय बहुत कम हो जायेगा। पशु भी स्वस्थ रहेंगे, काम ज्यादा करेंगे, लम्बी उम्र जियेंगे और दुधारू पशु दूध ज्यादा देंगे। भारत में जैविक खेती से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि पूरे देश की समृद्धि और खुशहाली भी बढ़ेगी।

विज्ञान की प्रगति जिस तीव्रता से हो रही है उसी तेजी के साथ आधुनिक समाज अनेक रोगों का शिकार होता जा रहा है। रोग एवं रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन रोगों की चिकित्सा के लिए जो ‘अंग्रेजी—पद्धति’ अपनाई जा रही है। वह प्रायः खर्चीली होने के कारण जनसमान्य के लिए सुलभ नहीं है, इसलिए उन उपचार पद्धतियों पर शोध करना आवश्यक है, जो जनसामान्य के लिए सहज उपलब्धता के साथ गुणकारी तथा सस्ती भी हो। भारतीय संस्कृति में प्राचीन युग से ऐसी चिकित्सा पद्धति उपलब्ध है, जिसमें वर्णित रोगनिवारक औषधि प्रकृति में सहजता से उपलब्ध है, साथ ही गुणकारी भी है। ‘भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद एवं सिद्ध चिकित्सा पद्धति ऐसे दोमुक्त प्रवाह हैं। इसमें भी आयुर्वेद विशेष प्रभावकारी है। इसकी ज्ञानपरम्परा वेदोंसे शुरू होकर ब्रह्म आदि देवताओं के ज्ञान से परिपूर्ण होकर

आज के आधुनिक समाज को चिकित्सा के लिये यह शास्त्र अमृतस्वरूप में उपलब्ध है। इस चिकित्सा पद्धति में जो औषधियों वर्णित है, उसके प्रमुख तीन स्रोत बताएगये हैं –

1. जांगम (Animal Kingdom)
2. औंदूमिज (Plant Kingdom)
3. पार्थिव (Minerals)

इन तीनों स्रोत का समयोग रखने का प्रयत्न भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में किया गया है। साथ ही पर्यावरण संतुलन के लिये इनस्रोत (जांगम, औंदूमिज, पार्थिव) का समयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयुर्वेद में अष्टवर्ग में प्राणियों का एकत्रित उल्लेख कर उनकी चिकित्सकीय उपादेयता बताई गई है। इस अष्टवर्ग में गाय, भैंस, उंटनी, हाथिनी, घोड़ी, भेड़, बकरी एवं गधी का समावेश है।²⁵ इसमें ‘गाय’ को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ‘जिस घर में ‘तुलसी का पौधा’ और ‘गाय’ हो उसके यहां कोई बीमार नहीं पड़ सकता। और किसी कारण बीमारी आ भी जाए तो तुलसी और पंचगव्य से वह ठीक हो जाएगा।’²⁶ यह सर्वविदित है कि भारत देश की गाय साक्षात् लक्ष्मी है। आज के संदर्भ में लक्ष्मी की व्याख्या ‘अर्थ’ से की जाती है। इस संदर्भ में देशी गाय को देखें तो वह अकेली प्रतिमाह लाखों रूपए देने में सक्षम है। इस विषय पर पिछले 15 वर्षों से महर्षि बाग्भट्ट गौशाला स्थित ‘पंचगव्य अनुसंधान केन्द्र’ कांचीपुरम, तमिलनाडू में शोध कार्य चल रहे हैं। इस दौरान किए गए हजारों प्रयोग प्रमाणित करते हैं कि, ‘एक देशी गाय प्रतिदिन गोबर, गौमुत्र और दूध के माध्यम से लगभग 3,000 रूपए की अमृत जीवन रक्षक औषधियों प्रदान करती है।’²⁷ गाय से जुड़े इन पांच चीजों का प्रयोग कई तरह की औषधियों के रूप में भी किया जाता है। पंचगव्य द्वारा शरीर के कई रोगों का उपचार किया जाता है और यह रोग—प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक ‘गव्य’ विभिन्न रोगों के खिलाफ एक अलग औषधीय प्रभाव डालता है। ‘पंचगव्य चिकित्सा या उपचार को अन्य पैथी (एलोपैथी, होम्योपैथी, और प्राकृतिक चिकित्सा) के समान ही ‘काउपैथी’ कहा जाता है।’²⁸ प्रत्येक ‘गव्य’ का उपयोग एकल चिकित्सा के रूप में या अन्य उत्पादों के संयोजन में या अन्य उपचारों के साथ किया

जा सकता है। इस पंचगव्य में विश्व की किसी भी बीमारी के जड़—मूल से नष्ट करने की क्षमता है। 'अकेले गौमुत्र में 24 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं और यह सभी मिनरल्स हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं। दाह संस्कार उपरांत बचे हुए राख को प्रयोगशाला में परीक्षण करने पर पता चला कि उस राख में 24 प्रकार के तत्व है। ये सभी तत्व गौमुत्र में भी उपलब्ध हैं।'²⁹ अतः इसके सेवन से हमारे शरीर के तत्वों में कभी भी कमी नहीं आती, निरोगी रहने का यही मूल—मंत्र है। 'गोबर में एन्टीसेप्टिक, एन्टीरेडियोएक्टिव, एन्टीथर्मल गुण होता है। इसका उपयोग हैजा, खुजली तथा दंतरोग इत्यादि में किया जा सकता है। गाय का गोबर मलशोधक, दुर्गंधीन, उत्तम वृद्धिकारक, मृदा उर्वरता का पोषक है।'³⁰ विश्व के कई देशों ने जैसे, ब्राजील, रूस, उरुग्वे, डेनमार्क इत्यादि ने भारतीय नस्ल की गायों पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कर जनसाधारण को इसकी उपयोगिता प्रमाणित की है तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान दिया है। गाय एक ऐसी प्राणी है, जो जन्म से लेकर मृत्यु के पश्चात् भी मानव जाति के लिए उपयोगी बनी रहती है, किंतु आज के अर्थ पूजक, भोगवादी, निजी स्वार्थ वाली विचारधारा के चलते गौवंश सर्वथा उपेक्षित रह गया है।

निम्नलिखित सुझावों के परिपालन से भारत के इंद्रधनुषीय विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, इससे भारत पुनः आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से सशक्त होकर विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त कर सकेगा —

1. नये कल्लखाने की स्थापना एवं पुराने कल्लखाने की आधुनिकीकरण के लिए दी जानने वाली सब्सिडी को समाप्त किया जाए।
2. मांस उत्पादन एवं कल्लखाने की स्थापना में दी जाने 13 प्रकार की छूटों को समाप्त किया जाए।
3. जैविक स्त्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से अकार्बनिक उर्वरकों पर सब्सिडी हटा देना चाहिए।
4. जैविक उर्वरकों के उचित विपणन के लिए कोई संगठित बाजार तथा खरीददार नहीं है इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक वितरण एजेसिंयों— इफको, कृभको तथा अन्य राज्यस्तरीय एजेसियों की सहायता ली जानी चाहिए।

5. देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की टीम के द्वारा कलस्टर एप्रोच के साथ इनपुट, सब्सिडी, जैविक बीज एवं अन्य सुसंगत जानकारियां प्रदान की जानी चाहिए।
6. देशी नस्लों की गायों/बैलों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
7. साधु—संतों, धर्मउपदेशकों द्वारा शास्त्रों में गौसेवा के महत्व को उद्धृत किया जाना चाहिए ताकि कोई भी गौपालक अपने गौवंश को लावारिस न छोड़े।
8. राज्य सरकारों द्वारादेशी गायों की सुरक्षा, संरक्षा, संवर्द्धन एवं पंचगव्य चिकित्सा को प्रोत्साहित करने हेतु बजट में ‘गौ—कोष’ का प्रावधान किया जाना चाहिए।
9. वर्तमान भूगोल, पर्यावरण एवं परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित चिकित्सा शास्त्र में गोबर और गौमुत्र के औषधीय उपयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य उच्च कोटि के वैज्ञानिक एवं दक्ष व्यक्तियों को तैयार करना होना चाहिए जिसकी चिकित्सा विज्ञान एवं वैज्ञानिक प्रणाली के मूलभूत सिद्धांतों पर मजबूत पकड़ हो।
10. विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में गाय का वैदिक व सांस्कृतिक महत्व, अर्थव्यवस्था में गाय की भूमिका, गाय द्वारा प्रदत्त पंचगव्य की कृषि एवं स्वास्थ्य में उपादेयता जैसे अध्यायों को शामिल किया जाना चाहिए।
11. विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अंतर्विषयक पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को ‘पंचगव्य’ सम्बंधी प्रश्नपत्र के चयन की सुविधा होनी चाहिए। जो विद्यार्थी ‘पंचगव्य’ आधारित चिकित्सा शास्त्र में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्तांकों के गुणानुक्रम के आधार पर विशिष्ट गुरुकुलों में प्रवेश की पात्रता होनी चाहिए।
12. प्रत्येक जिले के हर एक विकासखण्ड में कम से कम एक पंचगव्य चिकित्सा एवं अन्यास कम हेतु एक विशिष्ट गुरुकुल होना चाहिए। इन संस्थानों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्ति गव्यसिद्ध चिकित्सक के रूप में कार्य करने हेतु कानूनी रूप से अधिकृत होना चाहिए।

13. पंचगव्य चिकित्सा पद्धति में गोबर, गौमुत्र एवं दूध मुख्य गव्य के रूप में तथा दही एवं घी उपगव्य के रूप में और इनके संयोग मुख्य औषध हैं। इन औषधियों के निर्माण की प्रक्रिया में अल्पमात्रा में प्राकृतिक जड़ी-बूटियों का भी उपयोग किया जा सकता है। इस सम्बंध में अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
14. प्रदेश स्तर पर एक केन्द्रीय इकाई की स्थापना की जानी चाहिए जो विभिन्न गौशालाओं द्वारा उत्पादित औषधियों के विपणन में सहयोग प्रदान करे।
15. ऐसी चिकित्सा पद्धति का विकास करना चाहिए जिसमें भारत की प्राचीनतम विधा 'नाड़ी विज्ञान' एवं 'नाभी विज्ञान' जो लुप्तप्राय हो चुकी है, उसे पुनर्जिवित किया जा सके ताकि जनसामान्य को रोगों की जांच में हो रहे भारी खर्च से मुक्ति मिल सके।
16. पंचगव्य विस्तार केन्द्रों के संचालकों एवं आचार्यों की नियमित रूप से ऑनलाइन बैठकों का आयोजन होना चाहिए ताकि इस सम्बंध में नवाचारों का आदान प्रदान किया जा सके।
17. महासम्मेलनों एवं प्रभात फेरियों के माध्यम से गौरक्षा के प्रति जन जागरण का कार्य किया जाना चाहिए।
18. गौरक्षा संरक्षण, सर्वद्वन्द्व एवं पंचगव्य थेरेपी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार एवं सम्मान की व्यवस्था होनी चाहिए।
19. पंचगव्य के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त 'गव्यसिद्धों' को नवीन अनुसंधान से परिचित करवाने के लिए नियमित रूप से कांफेंस या संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए।
20. भारतीय नस्ल की गाय की गौशालाओं को आरंभ करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 25 वर्षों तक अनुदान राशि का प्रावधान होना चाहिए। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया में पंचगव्य से औषधि तैयार करने में विशेष आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

21. भारतीय नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए दो या अधिक गौशालों के मध्य कोलाब्रेशन होना चाहिए ताकि वे आवश्यकतानुसार एक दूसरे को सहयोग कर सकें।

22. भारत के प्रत्येक घर में कम से कम एक देशी गाय पालन का कार्य किया जाना चाहिए।

23. भारतीय नस्ल की गायों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए विदेशी नस्लों से संकरित करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

निष्कर्ष—

भारत की समृद्धि गौवंश से जुड़ी हुई है। भारत देश के सांस्कृतिक पतन का कारण गौहत्या है। गौहत्या बंद कर यदि गौवंश को अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाए तो चंद वर्षों में ही भारत अपनी समृद्धि दोबारा प्राप्त कर सकता है। भारतीय दर्शन गौवंश को पशु नहीं मानता। अपनी अलौकिक विशेषताओं के कारण गाय को माता की संज्ञा दी गई है। आयुर्वेद में पंचगव्य को महाऔषधि की संज्ञा दी है।

गाय एक चलती—फिरती औद्योगिक इकाई है जो स्वरोजगार एवं स्वावलम्बन का साधन है। गौमाता के गव्यों (गोमय, गौमुत्र, क्षीर, दही, मक्खन, छाछ, धी, भस्म, गोस्पर्श) से भारत की अर्थव्यवस्था ऊँची उठेगी, भारत समृद्ध बनेगा। भारत के लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा, भारत में श्रम बढ़ेगा। गव्यों के सेवन से युवा पीढ़ी का मन बदलेगा, राष्ट्रीयता कूट—कूट कर भरेगी। भारतीय कृषि नैसर्गिक होगी, देशी बीज विलुप्त होने से बचेगा, उत्पादन बढ़ेगा। भारत अपने खोए हुए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर जाएगा।

ऐलोपैथी चिकित्सा की लूट से निजात पाने एवं असाध्य रोगों के इलाज के लिए का एक ही मार्ग है, गज—माँ एवं पंचगव्य चिकित्सा। पंचगव्य चिकित्सा पद्धति एक सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धति है, जिससे हम भारत को ही नहीं बल्कि विश्व को निरोगी बना सकते हैं। पंचगव्य मनुष्य के शरीर के उत्तरों पर काम करता है, यही कारण है कि

इसमें कुछ भी असाध्य नहीं है। पंचगव्य चिकित्सा पूरी तरह प्रमाणिक है। पिछले एक दशक में अनेक संस्थानों ने गौ उत्पादों को लोकप्रिय बनाने एवं उनकी प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए सराहनीय कार्य किए हैं किंतु धरातल पर अर्थव्यवस्था की धूरी के रूप में स्थापित करने के लिए सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और शासकीय स्तर पर अभी अनेक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। गौपालन और पंचगव्य ही एकमात्र शक्ति है जो स्वस्थपशु, पक्षी, जनसंख्या, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, पूर्ण पोषण संबंधी आवश्यकताओं, गरीबी उन्मूलन, प्रदूषण मुक्त वातावरण, जैविक खेती आदि के निर्माण में मदद कर सकता है।

.....00000.....